

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 312/2019 अनवान मगीदेवी बनाम नन्दराम

नम्बर व  
तारीखअहकाम जो  
इस हुकम की  
तामील में जारी  
हुए

23/11/20

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थनी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण ईकतरफा। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थनी का कथन है कि प्रार्थनी मौजा खतियों मेघवालों की ढाणी पटवार क्षेत्र मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 614/282 रकबा 10.00 बीघा, खसरा संख्या 588/282 रकबा 18.19 बीघा व खसरा संख्या 591/282 रकबा 03.17 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है था अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहती है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थनी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थनी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहती है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रकट मौजा खतियों मेघवालों की ढाणी पटवार क्षेत्र मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 614/282 रकबा 10.00 बीघा, खसरा संख्या 588/282 रकबा 18.19 बीघा व खसरा संख्या 591/282 रकबा 03.17 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थनी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थनी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर साक्षर मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उप खण्ड अधिकारी  
बाडमेर

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/2866

दिनांक - 29/11/20

प्रार्थनी  
1 मगीदेवी पत्नी  
नेनाराम जाति जाट  
निवासी खतियों  
मेघवालों की ढाणी, मूढों  
की ढाणी तहसील व  
जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 नंदराम 2 चंदनराम पिसरान भैराराम जाति जाट निवासी  
जसनाथपुरी, चौखला 3 डालूराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट 4  
राणाराम पुत्र प्रभूराम जाति सोनी 5 बुधराराम पुत्र वागाराम 6  
गोरधनराम पुत्र देदाराम जाति कुम्हार निवासी छीतर का पार 7  
पृथ्वीराजसिंह पुत्र जुंजारसिंह जाति राजपूत निवासी चौखला 8  
पूनमाराम पुत्र प्रभूराम 9 चम्पा पत्नी हंजारीराम जाति कुम्हार  
निवासी नागाना 10 लुणीदेवी पत्नी गोरधनराम जाति कुम्हार  
निवासी छीतर का पार तहसील बायतु व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 312/2019

दिनांक-23-12-20

### आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा खतियों मेघवालों की ढाणी पटवार क्षेत्र मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 614/282 रकबा 10.00 बीघा, खसरा संख्या 588/282 रकबा 18.19 बीघा व खसरा संख्या 591/282 रकबा 03.17 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक-29/11/20

क्रमांक :- रीडर/2020/2867 - 70

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मूढों की ढाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. मगीदेवी पत्नी नेनाराम जाति जाट निवासी खतियों मेघवालों की ढाणी, मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी नंदराम पुत्र भैराराम वगैराह जाति जाट निवासी जसनाथपुरी, चौखला तहसील बायतु व जिला बाड़मेर।

(रोहित चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर